

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग

क्रमांक : २५-५८/१५/२०१७/१९/मौ/५६०१

भोपाल, दिनांक ३०/१०/२०१७

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग, भोपाल
2. परियोजना संचालक,  
पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग, भोपाल
3. समस्त मुख्य अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग, .....
4. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक,  
पी.आई.यू. लो.नि.वि. ....

विषय:- जी.एस.टी. लागू होने के बाद ठेकेदारों के रनिंग देयकों में से कटौती बाबत ।

दिनांक 24.10.2017 को मा० मंत्रीजी द्वारा की गई विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू होने के उपरान्त कई कार्यपालन यंत्रियों द्वारा ठेकेदारों के रनिंग देयकों में से वेट टैक्स अथवा जी.एस.टी. या दोनों के नाम से राशि की कटौती की जाकर विविध डिपॉजिट मद में रखी जा रही है ।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि रनिंग देयकों में से वेट अथवा जी.एस.टी. के मद में कोई राशि रोकी न जाये एवं जी.एस.टी. लागू होने के बाद के देयकों में से यदि कोई राशि रोकी गई हो तो उसे यथाशीघ्र रिलीज कर दिया जाये ।

उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाये ।


*Prakash*  
30.10.2017

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)  
सचिव,  
लोक निर्माण विभाग

पृ० क्रमांक : २५-५८/१५/२०१७/१९/मौ/५६०२

भोपाल, दिनांक ३०/१०/२०१७

- प्रतिलिपि:-
1. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मण्डल कार्यालय, मध्यप्रदेश.
  2. समस्त संयुक्त परियोजना संचालक, पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश
  3. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मध्यप्रदेश
  4. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश



*Prakash*  
30.10.2017

सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
लोक निर्माण विभाग

SECG  
CEEP  
03/10/2017

06/10/17  
website  
upload